

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज.) ।
विशिष्ट कोर्स एवं एस.ओ.पी. सचिवालय

क्र.सं.		धारा 4(1)(ख) के तहत 17 श्रेणियों का विवरण
1.	संगठन का विवरण अनुभाग ।	राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर (राज0) विशिष्ट कोर्स एवं एस.ओ.पी. सचिवालय
2.	अधिकारियों/ कर्मचारियों के कर्तव्य एवं शक्तियाँ ।	(क) सहायक निदेशक (विशिष्ट कोर्स एवं सीओई) – विशिष्ट प्रशिक्षण कोर्स का सम्पादन, एस.ओ.पी. सचिवालय का कार्य एवं अन्य प्रदत्त कार्यों का सम्पादन । (ख) सहायक स्टाफ – 3 – प्रदत्त कार्यों का सम्पादन ।
3.	निर्णय बनाने के लिए प्रक्रिया ।	सहायक निदेशक (विशिष्ट कोर्स एवं सीओई) द्वारा समुचित माध्यम द्वारा प्रस्ताव प्रेषित कर निदेशक महोदय के अनुसार निर्णय किये जाते हैं ।
4.	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदण्ड ।	पुलिस मुख्यालय एवं आर.पी.ए. कार्यालय द्वारा जारी आदेशों, परिपत्रों एवं समस्त निर्देशों के अनुरूप कार्य पूर्ण करवाना एवं एस.ओ.पी. सचिवालय के दायित्वों के सम्बन्ध में जारी मानक कार्य प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के अनुसार विविध कार्यों का सम्पादन ।
5.	कार्यों के निर्वहन के लिए नियम, विनियम ।	➤ RPR एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी परिपत्र ➤ प्रशिक्षण निदेशालय निदेशक आर.पी.ए. द्वारा जारी नियम, विनियम, परिपत्रों के अनुसार कार्यों का सम्पादन । ➤ समय-समय पर जारी अन्य विनियम ।
6.	श्रेणियों का विवरण ।	<ul style="list-style-type: none"> ● समस्त संकायों की एस.ओ.पी. । ● विभिन्न आयोजित कोर्सेस से संबंधित प्रशिक्षण सामग्री । ● अनुसंधान से संबंधित मार्गदर्शिका / SOP's आदि का संधारण ।
7.	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
8.	परामर्शदात्री समितियां अन्य निकायों का विवरण ।	लागू नहीं ।
9.	अधिकारियों/कर्मचारियों की निर्देशिका ।	सहायक निदेशक (स्पेशल कोर्स), फो0 नं0 0141 – 2302131 पी.बी.एक्स नं. 550.
10.	अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक ।	लेखा शाखा ।
11.	बजट प्रत्येक एजेन्सी को आवंटित ।	लेखा शाखा ।

12.	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन।	लागू नहीं।
13.	रियायतें, परमिट पाने वाले का ब्यौरा।	लागू नहीं।
14.	एक इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध सूचना।	राजस्थान पुलिस की वेबसाईट पर प्रेषित अन्य सूचनाएँ।
15.	नागरिकों को उपलब्ध सुविधाएं।	सहायक निदेशक(प्रशासन) को दिये गये आवेदन के पश्चात् उनके निर्देशानुसार।
16.	लोक सूचना अधिकारियों के नाम एवं पदनाम विशिष्टियां।	सहायक निदेशक (प्रशासन) लोक सूचना अधिकारी एवं निदेशक आरपीए प्रथम अपील अधिकारी।
17.	ऐसी अन्य सूचनाएं।	विभाग द्वारा समय-समय सम्बन्धित सूचना को प्रकाशित किया जाता है।